Schedule VI MR Form No. 18
Cahotanagpur Settlement
Continuous **KHATIAN** Form (Lower half)

Name of Village
नाम मौजा

Thana राँची
थाना

Thana Number 228
थाना नम्बर

Number of Khewat
खेवट नम्बर 2

Name of Landholder
नाम लगान मालिकाना

Page
सफा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	कोका कुरमी वल्द भुखुवा कुरमी 1 हीसा भीआ बराबर व गोकुल कुरमी वल्द फकीरा कुरमी 1 हीसा भीआ बराबर व घासीराम कुरमी मौजे मधुआ कुरमी 1 हीसा भीआ बराबर मौजे कुरमी साकिन देह	कायमी					बाध दोः	६१	उ० दोः भेख उगन आली [illegible] द० दोः भीख तेली	दोः ओ	1		८०		८०	२
							बाम दोः	१८४०	उ० दोः कोयल कुरमी वगैरह द० दोः कोका कुरमी वगैरह	दोः ओ	1		४०		४०	२

CERTIFIED TO BE TRUE COPY

प्रतिलिपिकार

तुलनालिपिक

p.no 10124 25/8/17

25/8/17

25/8/17

25/8/17

25/8/17

25/8/17

5.00

10.00

15.00

Record of Rights finally published under section 83 Chotanagpur Tenancy Act 1908

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	aa362a2e77d5b52b39d1
Receipt Date :	31-Jan-2024 12:59:41 pm
Receipt Amount :	50/-
Amount In Words :	Fifty Rupees Only
Document Type :	Agreement or Memorandum of an Agreement
District Name :	Ranchi
Stamp Duty Paid By :	CHANDRA DEEP MAHTO AND OTHER
Purpose of stamp duty paid :	AGREEMENT
First Party Name :	BANDHNU MAHTO
Second Party Name :	CHANDRA DEEP MAHTO AND OTHER
GRN Number :	2400455961

5 FEB 2024

Stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number

चन्द्रदीप महतो
कमल महतो
बन्धनु महतो
कलेश्वर महतो

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Govt. of India (Jharkhand)

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

बन्धनु महतो

GRN no- 2400060111 Date 05 Jan-2024

आपसी पारिवारिक बंटवारानामा

आज दिनांक 31-01-24 को दोनो पक्षों के बीच आपसी पारिवारिक बंटवारानामा इस प्रकार सम्पन्न होता है।

प्रथम पक्ष का नाम एवं पता– बन्धनु महतो पिता स्व0 जदु महतो, दादा– स्व0 कचुवा महतो जाति– तेली, धर्म– हिन्दु, पेशा– खेतीबारी, निवासी– ग्राम–पुन्दाग, पो0 पुन्दाग, थाना–जगरनाथपुर (ओ0पी0 पुन्दाग), जिला–रांची, राज्य–झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

द्वितीय पक्षकारों का नाम एवं पता– (1) चन्द्रदीप महतो वो (2) कमल महतो वो (3) कलेश्वर महतो सभी के पिता– स्व0 जदु महतो, दादा– स्व0 कचुवा महतो जाति– तेली, धर्म– हिन्दु, पेशा– खेतीबारी, निवासी– ग्राम–पुन्दाग, पो0 पुन्दाग, थाना–जगरनाथपुर (ओ0पी0 पुन्दाग), जिला–रांची, राज्य–झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

लेख्य प्रकार– आपसी पारिवारिक बंटवारानामा हमेशा–हमेशा के लिए।

नाम लगान पाने वाला– झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी नगड़ी, रांची।

अचल सम्पत्ति का विवरण– वाके मौजा– पुन्दाग, थाना–जगरनाथपुर (ओ0पी0 पुन्दाग), थाना नं0– 228, जिला–रांची के अंदर

खेवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	कुल रकबा	मधे क्रय रकबा
2	47	61	80 डी0	25 डी0
		171	85 डी0	30 डी0
			कुल रकबा	55 डी0

से संबंधित है।

5 FEB 2024

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC

बन्धनु महतो

GRN no- 2400060111 Date 05 Jan-2024

यह विदित हो कि आपसी पारिवारिक बंटवारानामा भूमि आर0एरा0 सर्वे खतियान में कोका कुरमी वल्द शुधुवा कुरमी वो गोखुला कुरमी वल्द फकीरा कुरमी वे मोशमात घासीन कुरमीन जौजे मचुआ कुरमी ब–हिस्स्सा बराबर जाति कुरमी निवासी साकिनदेह के नाम से काएमी दर्ज है।

यह विदित हो कि उक्त भूमि जदु महतो के नाम से खरीदगी हासिल है।

यह विदित हो कि खयितानी रैयत के एक फरीक (हिस्सेदार) इन्द्रु महतो वल्द कोका महतो मो0 जात कुरमी पेशा–खेती, साकिन पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, जिला–रांची से दिनांक 04.06.1981 ई0 को केवाला बिक्री बैला कलामी जिसका बुक नं0–1, भौलुम नं0–62, पेज नं0–416 से 419 दस्तावेज सं0– 6527, वर्ष 1981 ई0 को जदु महतो वल्द कचुवा महतो मो जात तेली, पेशा–खेती, साकिन पुन्दाग, थाना जगरनाथुपर, जिला रांची ने खरीदगी हासिल किये है।

यह विदित हो कि खरीदगी हासिल करने के बाद जदु महतो अपेन जीवनकाल तक उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक खास दखल–कब्जा में रहे तथा खेतीबारी करते चले आ रहे थे। उनके स्वर्गवास के बाद उक्त खाता, प्लाट एवं रकबा की जमीन पर उनके पुत्रों का खास दखल कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है।

5 FEB 2024

यह विदित हो कि वर्तमान समय में अंचल अधिकारी नगड़ी रांची के पंजी II के पृष्ठ सं0 250 वर्तमान भाग सं0–4 में जदु महतो पिता कचुवा महतो के नाम से जमाबंदी कायम है तथा सरकारी मालगुजारी रसीद वर्ष 2023 से 2024 तक निर्गत है।

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC

बन्धु महतो

GRN no- 2400060111 Date 05 Jan-2024

यह विदित हो कि प्रथम पक्ष एंव द्वितीय पक्षगण जदु महतो वल्द कचुवा महतो के पुत्रगण है। इनका वंशावली इस प्रकार हैः–

जदु महतो

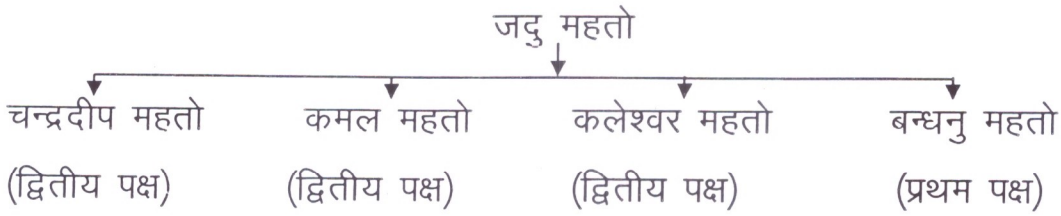

चन्द्रदीप महतो (द्वितीय पक्ष)	कमल महतो (द्वितीय पक्ष)	कलेश्वर महतो (द्वितीय पक्ष)	बन्धनु महतो (प्रथम पक्ष)

यह विदित हो कि उपरोक्त खाता नं0–47, प्लाट नं0 61, कुल रकबा–80 डी0 मधे रकबा 25 डी0 एंव प्लाट नं0 171, कुल रकबा 85 डी0 मधे रकबा 30 डी0 यानि कुल रकबा–55 डी0 भमि पर दोनो पक्षों के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को कोई संबंध नहीं है और न कोई आपत्ति है।

यह विदित हो कि अनुसूची (A) में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष को जदु महतो के पुत्र के हैसियत के आधार पर हमेशा–हमेशा के वास्ते इसके भोग विलास के लिए आत्यांकित स्वामी के रुप में कब्जा वो दखल दिया जा रहा है जिसका उपभोग करता है, जो सम्पत्ति का विवरण निम्न हैः–

खेवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	खरीदगी रकबा	मधे रकबा
2	47	61	25 डी0	13 डी0
			कुल रकबा	13 डी0

5 FEB 2024

प्रथम पक्ष को प्राप्त प्लाट नं0 61 की चौहद्दीः–

उत्तर– प्लाट नं0 61 का पार्ट

दक्षिण– प्लाट नं0 61 का पार्ट चन्द्र दीप महतो

पूरब– रोड

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Govt. of India

बन्धनु महतो

पश्चिम– प्लाट नं0 60

यह विदित हो कि अनुसूची (B) में वर्णित सम्पत्ति द्वितीय पक्षगण को जदु महतो के पुत्रों के हैसियत के आधार पर हमेशा–हमेशा के वास्ते इसके भोग विलास के लिए आत्यांकित स्वामी के रुप में खास दखल वो कब्जा दिया जा रहा है जिसका उपभोग करता है।

द्वितीय पक्षकारों को उनके हक वो हिस्सों में प्राप्त सम्पत्ति निम्न हैः–

खेवट नं0	खाता नं0	प्लाट नं0	खरीदगी रकबा	मधे रकबा
2	47	61	25 डी0	12 डी0
		171	30 डी0	30 डी0
			कुल रकबा	42 डी0

यह विदित हो कि अनुसूची (A) एंव अनुसूची (B) में वर्णित सम्पत्ति पक्षकारगण के बीच आवंटित की गयी है, जिसे दोनो पक्षकारगण संतुष्ट हैं इस आवंटित सम्पत्ति पर जदु महतो के पुत्रों के अलावा अन्य किसी व्यक्तियों का उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वो आपत्ति विपत्ति नहीं है।

यह भी विदित हो कि यह आपसी पारिवारिक बंटवारानामा दोनो पक्षों के आपसी सहमति से बना है। इसे दोनो पक्षकार सहमत है, वर्तमान समय में शहर का विकास एंव जमीन दलालों से सावधान व बचाव वो बढ़ते पारिवारिक असुविधाओं को देखते हुए अपने–अपने हक वो हिस्से की जमीन को सुरक्षित रख रखव तथा न्याय की दृष्टिकोण से भी उचित एवं न्यायसंगत है।

5 FEB 2024

यह विदित हो कि प्रथम पक्ष अपने पिता स्व0 जदु महतो द्वारा खरीदगी सम्पत्ति को आपसी पारिवारिक बंटवारानामा में प्राप्त खाता प्लाट वो रकबा की

EHSAN HUSSAIN NOTARY PUBLIC Govt. of India (Jharkhand) Ranchi

बन्धुनु महतो

भू–सम्पत्ति को ट्रेश नक्शा में लाल रंग कर दार्ाया गया है जो इस आपसी पारिवारिक बंटवारानामा का अभिन्न अंग है।

यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष एंव द्वितीय पक्षगण के बीच अनुसूची (A) एंव अनुसूची (B) में वर्णित सम्पत्ति को आपसी पारिवारिक बंटवारानामा में प्राप्त अपने–अपने हक वेा हिस्से में मिले जमीन को प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षगण अपने सुविधा के अनुसार अपने–अपने नाम से अंचल कार्यालय, नगड़ी रांची में उत्तराधिकारी दाखिल–खारिज किया करें। इस पर एक दूसरे को कोई आपत्ति–विपत्ति नही होगी।

यह भी विदित हो कि उक्त बंटवारानामा को दोनो पक्षों ने पढ़कर समझ बुझ कर बिना किसी के दबाव, लोभ व बहकाव में अपने स्वस्थ मन चित्त से निम्न साक्षियों की उपस्थिति में आपसी पारिवारिक विभाजन के इस विलेख पर अपना–अपना हस्ताक्षर किया जो समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

साक्षियों का हस्ताक्षर

1 प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

2 द्वितीय पक्षगण का हस्ताक्षर

1 चन्द्रदीप महतो

2

3

5 FEB 2024

नोट– इस आपसी पारिवारिक बंटवारानामा का दोनो प्रति हु–ब–हु है।

NOTARY PUBLIC

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	7daa69e845148048bf79
Receipt Date :	11-Oct-2023 10:54:06 am
Receipt Amount :	5/-
Amount In Words :	Five Rupees Only
Document Type :	Copy or Extract
District Name :	Ranchi
Stamp Duty Paid By :	SANDEEP KUMAR
Purpose of stamp duty paid :	NAKAL
First Party Name :	SANDEEP KUMAR
Second Party Name :	NA
GRN Number :	2319672011

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

Ap. No 25584 17/10/2023

Year - 1981
Book - I
Vol - 62
Page - 416-419
Deed - 6527

सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति
वास्ते जिला निबंधक, राँची

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

बन्धनु महतो

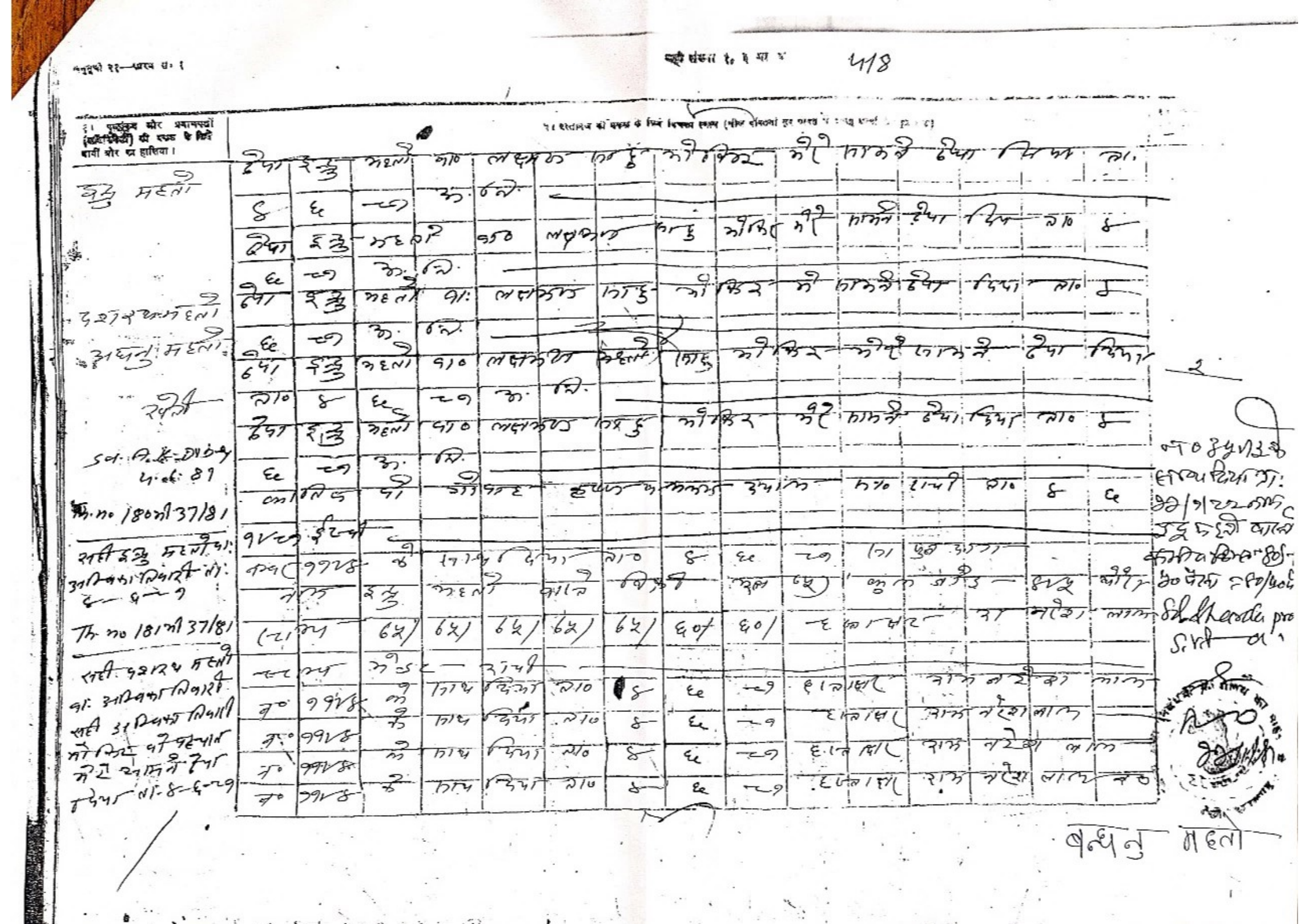

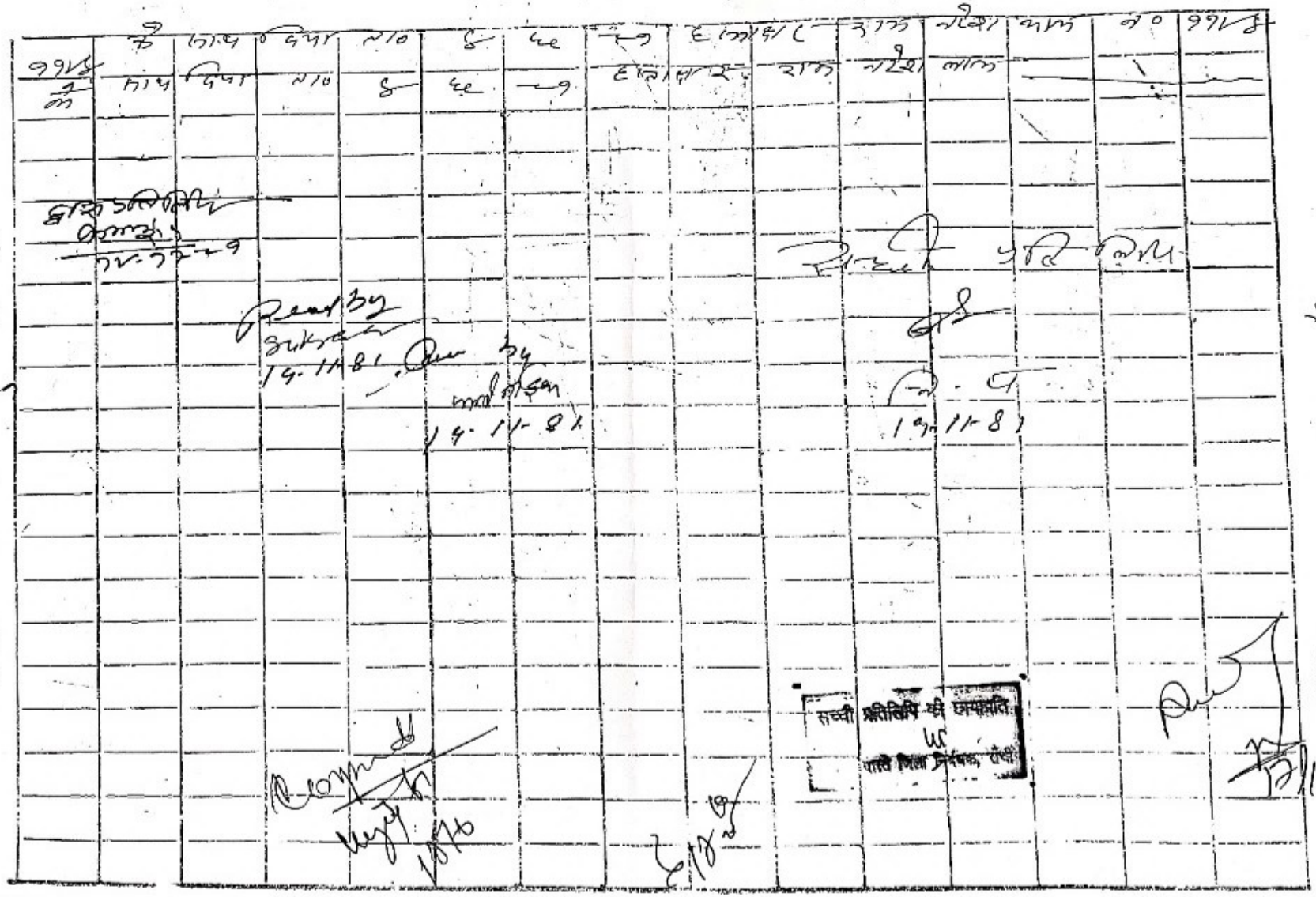

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

6 कि॰ ई॰ पदाधिकारी।
19.11.81

[illegible]
19.11.81

[illegible]
[illegible]

Read by
Sukhan
19.11.81

Com by
[illegible]
19.11.81

[illegible]
[illegible]

Read by
Sukhan
19.11.81. Com by
[illegible]
19.11.81

[illegible]
[illegible]
19.11.81

[illegible]

सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति
प्रभारी जिला निबंधक, राँची

ह/ बन्धनु महतो

३। दस्तावेज और प्रमाणपत्रों (सर्टिफिकेटों) की नकल के लिये फीस और का हवाला :	४। दस्तावेज की नकल के लिये ... (... पंक्तियां ... शब्दों के हिसाब से)	५। टिप्पणी के लिये जगह और का हवाला
No 6527	1 नाम क्रेता [illegible] लिख इन्दु महतो वल्द कोका महतो कौम जात कुरमी महतो	2-9
P 75+75+75+75+75+60+60 = 495/-	पेशा खेती सा० पुनदाग थाना जगन्नाथपुर जिला रांची भारतीय नागरिक	
	2 नाम क्रेता [illegible] 1 जादु महतो वल्द कपुला महतो कौम जात कुरमी पेशा	
	खेती सा० पुनदाग थाना जगन्नाथपुर जिला रांची भारतीय नागरिक	Deficit stamp has
	3 जर समन — कौम 5,000) पांच हजार रुपया जिसका [illegible]	been realised
5E(7) प्रति	को 2) दो रुपया	at Rs. 40/50
	4 किस्म दस्तावेज — केवाला बिक्री [illegible]	vide Govt.
	5 जमींदार [illegible] सि० [illegible] राज्य	letter no 38/1981
	6 तफसील जायदाद का विवरण [illegible] जमीन [illegible] हकियत	87-2 A. dated 26/3/81
Sd. A. K. Dubey	[illegible]	
	पुनदाग थाना जगन्नाथपुर जिला रांची थाना नं० 222 खेवट नं० 2	
A(1) 120.25	खाता नं० 86 प्लाट नं० 669 नाम [illegible] 0.80 डी.	R.O.
N197 10.40	डी. [illegible] प्लाट नं० 969 [illegible] रकबा 0.24 डी.	
LL Fee 0.50	0.30 डि. [illegible] रकबा [illegible] 0.55 पचपन डी.	
P Fee 0.94	[illegible]	[stamp]
132/59	रांची के [illegible] है	
इ स्टाम्प 220	[illegible]	
275	7 [illegible] जमीन [illegible] की है [illegible]	
नया स्टाम्प 495	[illegible] जिस पर [illegible] दखल कार चले आ रहे हैं	
	[illegible] लेने हर [illegible] कीमत [illegible] पांच हजार	
Sd. R. Roy 4-6-81		

बन्धनु महतो

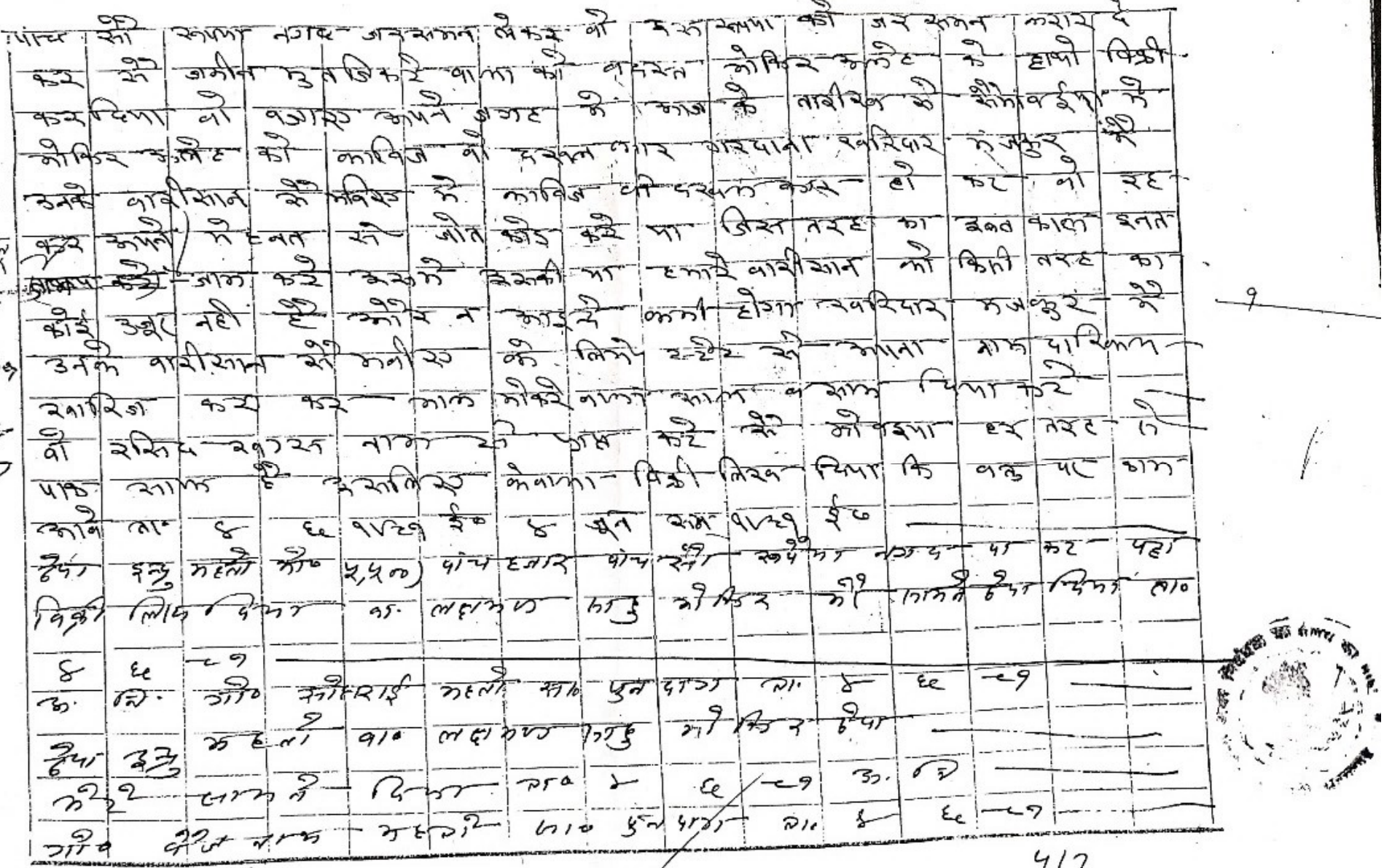

४-६-८१

दस्तखत ७.५०

पाँच सौ रुपया नगद अनुसमान लेकर भी मैं रुपया की जर समन करार दे
कर के जमीन मुतफिकरे बाला को बदस्त मोसिर मुकीर के हाथों बिक्री
कर दिया वो आज से अपने जगह में आज के तारीख से मोनावईया के
मोसिर मुकीर को काबिज वो दखल कार बारदाना खरीदार मंजूर के
उनके वारीसान के नविश्त से काबिज दखल [illegible] हो कर वो रहे
[illegible] अपने से हमेशा से जोत कोड करे या जिस तरह का इस्तकमाल इस्तेमाल
[illegible] करे जो करे उससे हमको या हमारे वारीसान को किसी तरह का
कोई उजूर नहीं है और न आइन्दा होगा खरीदार मंजूर के
उनके वारीसान से [illegible] के लिये रहेंगे सो आना [illegible] दाखिल
खारिज करा कर नाम सरकारी कागज में [illegible] लिया करे
वो रसीद [illegible] नाम से पास करे जो [illegible] हर तरह से
पाक साफ है इसलिए केवाला बिक्री लिख दिया कि वक्त पर काम
आवे ता० ४ ६ १९८१ ई० ४ जून सन् १९८१ ई०
[illegible] इन्नु महतो और ५,५००) पाँच हजार पाँच सौ रुपया नगद पा कर पहा
बिक्री लिख दिया [illegible] [illegible] मोसिर को [illegible] [illegible] ता०
४ ६ ८१
द० लि० और [illegible] महतो सा० पुन दारा ता० ४ ६ ८१
[illegible] इन्नु महतो वा० [illegible] मोसिर [illegible]
[illegible] [illegible] लिखा [illegible] ४ ६ ८१ उ० [illegible]
[illegible] [illegible] महतो सा० पुन दारा ता० ४ ६ ८१

इन्नु महतो
कोका महतो
गवाह पुत्र [illegible]
रवीन्द्र

S.A.K. Dubey
4.6.81

हस्ता इन्नु महतो
४-६-८१
अ.रु.

417

बन्धनु महतो